हुक्म की तामील जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट बहाला)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस
मुकदमा नं0 3/ 1105 /15 निर्णय दिनांक : 29.06.2016

उनवान

1. मिश्री लाल पुत्र सोहन पाल जाति जाटव निवासी ढाढोली हाल निवासी बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

............अप्रार्थी

(अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 158 रकबा 03 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 216/ 440 रकबा 0.04 हैक्ट0 वाके ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ जिला अलवर की कब्जे काश्त रिकार्डेड खातेदारी की आराजी है जो प्रार्थी ने जर्ये बयनामा दिनांक 14.12.1996 को खरीद की है। जिसका इन्तकाल सं0 230 दर्ज व स्वीकार हुआ जिसमें प्रार्थी की जाति जाटव दर्ज है। हाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति का इन्द्राज जाटव की जगह यादव दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी की जाति जाटव है जिसका इन्द्राज वक्त खरीद के बयनामा व इन्तकाल जमाबन्दी सम्वत 1950 में सही दर्ज हो रहा है। परन्तु बन्दोबस्त सम्वत 2058 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से प्रार्थी की जाति जाटव के बजाय यादव दर्ज कर दी जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 158 रकबा 03 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 216/ 440 रकबा 0.04 वाके ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है जिसमें प्रार्थी की जाति जाटव के स्थान पर यादव दर्ज कर रखी है जिसे पिछले राजस्व रिकार्ड के आधार पर दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी की जाति हाल राजस्व रिकार्ड में यादव के स्थान पर जाटव दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बहाला में दिनांक 29.06.2016 को पेश हुई। पैरोकार सरकार ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 216/440 रकबा 0.04 हैक्ट0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 158 मिन रकबा 3 बिस्वा है, पर प्रार्थी की जाति यादव के स्थान पर जाटव मुताबिक नामान्तकरण सं0 230 एवं बयनामा दिनांक 14.12.96 के दुरूस्त किया जाना उचित है।

पत्रांवली का अवलोकन लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बहाला में अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक नामान्तकरण सं0 230 एवं बयनामा दिनांक 14.12.96 के प्रार्थी की जाति यादव के स्थान पर जाटव दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 216/ 440 रकबा 0.04 हैक्ट0 वाके ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ जिला अलवर के हाल राजस्व रिकार्ड में मुताबिक बयनामा दिनांक 14.12.96 एवं नामान्तकरण सं0 230 के अनुसार प्रार्थी की जाति यादव के स्थान पर जाटव नियमानुसार दर्ज करना सुनिश्चित करे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगे। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत बहाला में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)